Himachal Pradesh Thirteenth Vidhan Sabha

Bulletin Part–II

(General information relating to Parliamentary and other matters)
Saturday, 6th January, 2018/ 16th Pausa, 1939 (Saka)

No.12

APPOINTMENT OF SPEAKER PROTEM

(Extract of following orders by the Governor of Himachal Pradesh dated 6th January, 2018 is reproduced hereunder for the information of the Hon'ble Members):-

" भारत के संविधान के अनुच्छेद 179 के परन्तुक के निबंधनों के अनुसार अध्यक्ष का पद, विधान सभा की प्रथम बैठक से ठीक पूर्व रिक्त हो जाएगा और उपाध्यक्ष का पद पहले ही रिक्त है;

"अतः अब, मैं, आचार्य देवव्रत, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री रमेश चन्द ध्वाला, सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा को एतद् द्वारा विधान सभा के प्रथम बैठक से और जब तक उक्त विधान सभा द्वारा अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर लिया जाता है, अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों के पालन के लिए नियुक्त करता हूँ ।"

"मैं, आचार्य देवव्रत, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य, श्री रमेश चन्द ध्वाला को ऐसे व्यक्ति के रूप में नियुक्त करता हूँ, जिसके समक्ष हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य, भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 के उपबन्धों के अनुसार शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे ।"

आचार्य देवव्रत
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश ।"

Secretary,
H.P. Vidhan Sabha.

*****